

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

डी० के० तिवारी
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/राँची/हजारीबाग/
मुख्य अभियंता (यॉ०)/अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक : 07-03-18

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 07-मध्यम सिंचाई परियोजना	11.392

कुल आवंटित राशि – रुपये ग्यारह लाख उन्चालीस हजार दो सौ मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 के संशोधित बजट उपबंध राशि ₹ 10225.5288 लाख (एक सौ दो करोड़ पच्चीस लाख बावन हजार आठ सौ अस्सी मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1362 दि. 09.05.2016 2747 (वि.) दि. 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
10. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
11. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यापन कर दिया जाय। राशि का प्रत्यापन **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यापन प्रतिवेदन हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 मार्च 2018 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(डी० के० तिवारी)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :-

285

रॉची, दिनांक :-

07-03-18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/देवघर/गुमला/चाईबासा/खूँटी/सिमडेगा/दुमका/साहेबगंज/गोडडा/हजारीबाग/जामताड़ा/राजमहल/मधुपुर/पाकुड़/जमशेदपुर/सरायकेला-खरसांवा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(डी० के० तिवारी)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :-

285

रॉची, दिनांक :-

07-03-18

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(डी० के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना
भाग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

285
दिनांक 7-3-18
का अनुमति

परिशिष्ट I

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2017-2018	वित्तुल शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते										वित्तुल शीर्ष-02-प्रशासनिक व्यय										वित्तुल शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										वित्तुल शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां										वित्तुल शीर्ष-07-अन्य व्यय										राशि लाख रुपये में	
		कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतन का हककाया	एलएडीपीसीडी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दरू, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	फिक्स्ड प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति																																					
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																					
1	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, राँची	विवरण कोड	48527010300 1070101	48527010300 1070110	485270103001 070112	48527010300 1070213	485270103001 070315	48527010300 1070315	485270103001 070323	48527010300 1070333	48527010300 1070334	48527010300 1070337	485270103001 070442	485270103001 070760																																							
2	जलपथ अंचल, गुमला		150.000	0.000	0.000	0.200	1.500	0.000	0.300	0.350	0.025	0.000	1.800	0.050	154.225																																						
			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050																																						
			150.000	0.000	0.000	0.200	1.500	0.000	0.300	0.400	0.025	0.000	1.800	0.050	154.275																																						
			92.000	0.000	0.000	0.300	0.400	0.000	0.000	0.150	0.125	1.000	0.600	0.000	94.575																																						
			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.250																																						
			92.000	0.000	0.000	0.300	0.400	0.000	0.000	0.150	0.125	1.000	0.850	0.000	94.825																																						
3	जलपथ अंचल, झजारीबाग		146.000	0.000	0.000	0.200	2.008	0.000	0.350	0.170	0.250	0.000	0.400	0.000	149.378																																						
			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.250																																						
			146.000	0.000	0.000	0.200	2.008	0.000	0.350	0.170	0.250	0.000	0.650	0.000	149.628																																						
4	सिंचाई यांत्रिक अंचल, राँची		25.000	0.000	0.000	0.200	0.980	0.000	0.350	0.100	0.050	0.000	1.600	0.000	28.280																																						
			-1.020	0.000	0.000	-0.200	0.000	0.000	0.000	-0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.320																																						
			23.980	0.000	0.000	0.000	0.980	0.000	0.350	0.000	0.050	0.000	1.600	0.000	26.960																																						
5	अग्रिम योजना प्रो. राँची		162.000	0.000	0.800	1.500	0.600	0.000	0.000	0.050	0.175	0.000	0.000	0.000	165.125																																						
			0.000	0.500	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.700																																						
			162.000	0.500	1.000	1.500	0.600	0.000	0.000	0.050	0.175	0.000	0.000	0.000	165.825																																						
6	अग्रिम योजना प्रो साहेबाज		30.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	30.700																																						
			5.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.050																																						
			35.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	35.750																																						
7	आयोजन गुण नियंत्रण एवं मेडो प्रमंडल, देवघर		247.000	0.000	0.000	0.650	0.500	0.000	0.200	0.050	0.350	0.000	0.400	0.100	249.250																																						
			0.000	0.580	0.000	0.000	0.500	0.000	0.200	0.050	0.350	0.000	0.400	0.100	249.830																																						
8	गंगा पथ नहर प्रमंडल, साहेबाज		230.000	0.000	0.200	1.500	0.900	0.350	0.300	0.110	0.425	0.400	1.500	0.150	235.835																																						
			0.000	3.092	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.092																																						
			230.000	3.092	0.200	1.500	0.900	0.350	0.300	0.110	0.425	0.400	1.500	0.150	238.927																																						
9	गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची		252.000	0.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.080	0.500	0.250	0.500	0.050	253.980																																						
			0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.250																																						
			252.000	0.000	0.000	0.200	0.450	0.000	0.000	0.080	0.500	0.250	0.700	0.050	254.230																																						

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि0)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(डी० के० सिवासी)
अपर मुख्य सचिव

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2017-2018		विरुदा शीर्ष-01-वैतन एवं भत्ते				विरुदा शीर्ष-02-यात्रा व्यय				विरुदा शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय				विरुदा शीर्ष-04-मोटरगाडियां				विरुदा शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में
	कार्यालय का नाम	विषय कोड	वैतन	15.11.2000 के पूर्व का भत्ता	एलएण्डोशो	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	क्रियाया,दरे, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाडियां खर्च एवं मरम्मत	मिनि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति					
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
10	जलपथ प्रमंडल, खुर्दी		331.000	0.000	0.000	0.500	0.500	0.000	0.000	0.050	0.700	0.400	0.600	0.200	333.950						
	अतिरिक्त आवंटन		0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.450						
	कुल आवंटन		331.000	0.000	0.000	0.500	0.550	0.000	0.000	0.050	0.700	0.400	1.000	0.200	334.400						
11	जलपथ प्रमंडल सं.-2, हजारीबाग		185.000	0.000	1.200	2.500	1.000	0.000	0.550	0.150	0.450	0.400	0.000	0.250	191.500						
	अतिरिक्त आवंटन		0.000	0.000	0.300	0.200	0.000	0.000	0.000	0.020	0.000	0.000	0.000	0.000	0.520						
	कुल आवंटन		185.000	0.000	1.500	2.700	1.000	0.000	0.550	0.170	0.450	0.400	0.000	0.250	192.020						
12	विशेष भू-अर्जन पदा. देवघर		146.000	0.000	0.000	0.900	0.800	0.000	0.000	0.160	0.050	0.600	0.300	0.050	148.860						
	अतिरिक्त आवंटन		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.030	0.000	0.000	0.000	0.000	0.030						
	कुल आवंटन		146.000	0.000	0.000	0.900	0.800	0.000	0.000	0.190	0.050	0.600	0.300	0.050	148.890						
13	सिंचाई प्रमंडल, कुडहिल		238.000	0.000	0.000	1.500	0.500	0.000	0.150	0.000	0.500	0.500	0.000	0.000	241.150						
	अतिरिक्त आवंटन		0.000	0.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.800						
	कुल आवंटन		238.000	0.800	0.000	1.500	0.500	0.000	0.150	0.000	0.500	0.500	0.000	0.000	241.950						
14	सिंचाई प्रमंडल, देवघर		280.000	0.000	0.000	0.750	0.550	0.000	0.000	0.050	0.650	0.600	1.300	0.050	283.950						
	अतिरिक्त आवंटन		0.000	0.000	0.000	0.430	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.630						
	कुल आवंटन		280.000	0.000	0.000	1.180	0.550	0.000	0.000	0.050	0.650	0.600	1.500	0.050	284.580						
15	सिंचाई प्रमंडल, बड़हरा		172.000	0.000	0.000	0.970	0.200	0.000	0.000	0.050	0.300	0.000	0.000	0.000	173.520						
	अतिरिक्त आवंटन		0.000	0.000	0.000	0.000	0.060	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.060						
	कुल आवंटन		172.000	0.000	0.000	0.970	0.260	0.000	0.000	0.050	0.300	0.000	0.000	0.000	173.580						
	अतिरिक्त आवंटन का योग		3.980	4.972	0.500	0.430	0.210	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.300	0.000	11.392						

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विशिष्ट-14/2010-39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिले से विपरीतरा का आधार पर ही गुणतान अनुमाना है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये ग्यारह लाख उन्वालीस हजार दो सौ मात्र

राजेश प्रसाद
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूरे)
विशेष सचिव

(डी० के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

285
04-03-18

285